

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नव
अहम
हुकम
में जारी

24³/₂₆

पत्रावली पेशा डक। वकील वकील अपन।
तहसीलदार, मांगरोल से रिपोर्ट प्राप्त है
जो शो.का किया। तहसीलदार मांगरोल की
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार
मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार विवादित
आराजी दिनांक 24.04.1989 को कालूलाल
पुत्र जमनालाल जगदी चमार के नाम
से अंकित हुई है। कोर स्कोटेवारी भी
कालूलाल पुत्र जमनालाल जगदी चमार
के नाम से उदात्त की गई है। विवादित
प्लॉट कालूलाल पुत्र जमनालाल वर्तमान
में मध्यप्रदेश में निवास करता है।
अतः आवरण शुदा शर्मा में नाम परिवर्तन
किया जाना उचित नहीं है। तहसीलदार
मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर
वादी का दावा अस्वीकार कर स्वीकृत
किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार
बैरत निर्णय से कर है। यह
निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को
शुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल